



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 66195

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10670 सन् 2026

अवधेश

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- सत्य नारायण यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री सत्य नारायण यादव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री रामकुमार वर्मा, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह तात्कालिक जमानत प्रार्थना पत्र, विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 247 सन् 2025, धाराओं - 191(2), 191(3), 190, 115(2), 117(2) एवं 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना - नसीरपुर, जनपद - फिरोज़ाबाद, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। तत्पश्चात् घायल अनूप, गुलशन, देवश्री एवं लवकुश के कथन में उसका नाम सामने आया, जिसमें विशेष आरोप लगाया गया कि सह-अभियुक्त व्यक्ति आए और उन्हें पीटने लगे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सूचना मिलने पर मृतक सत्यभान घटनास्थल पर आया, तत्पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे बेरहमी से पीटा और आग्नेयास्त्र की चोट से मृतक की मृत्यु कारित की। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक के शव-परीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि उसे केवल एक गोलीय चोट प्राप्त हुई और आग्नेयास्त्र सह-अभियुक्त अरुण उर्फ मिर्ची की निशानदेही पर बरामद किया गया। उक्त चोट कारित करने के लिए किसी सह-अभियुक्त को कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है और आवेदक को मिथ्यारूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त विनोद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 10380 सन् 2026 में दिनांक 26.03.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः आवेदक, जिसकी समान भूमिका रही है, समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का भी अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 22.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, परंतु उपर्युक्त तथ्यों को विवादित नहीं कर सके।
5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए एवं कारागारों की अतिभीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, एवं सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 के वाद में दिए गए निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी यह राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
6. आवेदक - **अवधेश**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:
 - i. आवेदक, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत न किया जा सके, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक विचारण/अन्वेषण में कोई स्थगन न चाहते हुए ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास-प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति, जो संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के वचनबंध के साथ सत्यापित हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, के आधार पर रिहा किया जाएगा।

10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु रिहाई आदेश, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (BOMS) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतःसंज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत एवं (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित, आदेश के अनुपालन में, संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित करे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

30 मार्च, 2026

एसए/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।